04.11.024	पत्रावली पेश। वकील प्रार्थी उप.। अप्रार्थी संख्या 1 ता 6 को बार–बार आवाज लगाई गई कोई उपस्थित नही इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट. में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि मौजा बड़सम पटवार हल्का गोलासन तहसील सांचौर के खेत खसरा नम्बर 325 रकबा 11.56 हैक्टयर भूमि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 ता 2 की आई हुई है। उक्त आराजी का मौके पर हिस्सा–हको माफिक बंटवाड़ा किया जा चुका है जिसके अनुसार मूल वाद में नक्शा परिशिष्ट ''अ'' में वर्णित आसमानी रंग का हिस्सा प्रार्थीगण का व लाल रंग का हिस्सा अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2 का है। इसी अनुसार मौके पर माठे कायम है उक्त बंटवाड़ा करीब 20 वर्ष पूर्व किया गया था। इसके बाद लगातार कब्जा काश्त अलग–अलग है। प्रार्थीगण ने उक्त हिस्से की भूमि को दिन रात मेहनत कर उन्नत खाद बिज डालकर ऊपजाउ बनाया है अप्रार्थीगण के मन में खोट आ जाने से मौके पर किये बंटवाड़े अनुसार बंट न कर प्रार्थीगण को हैरान परेशान करना चाहते है तथा प्रार्थीगण के एक चक बनने वाले खेत के टुकड़ो में विभाजित कर प्रार्थीगण को परेशान करना चाहते है। इस कारण मौके पर करीब 20 वर्ष पूर्व किये बंटवाड़े माफिक बयान देने में टालम टोली करते रहते है प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण अपने हको अनुसर मौके पर किये बंटवाड़े अनुसर काश्त कर रहे है लेकिन राजस्व रेकर्ड में खाता सामलाती होने से उक्त खसरे में से भारतमाला सड़क परियोजना में अवाप्तसुदा भूमि अधिकतर अप्रार्थीगण की होने से तथा प्रार्थीगण की अवाप्तसुदा भूमि अल्पतम होने से अप्रार्थीगण की नियत में खोट आ गया है तथा भारतमाला सड़क परियोजना में अवाप्त भूमि का हिस्सा प्रार्थीगण पर डालना चाहते है जो प्रार्थीगण के साथ कुठारघात होगा जबकि मौके पर किये बंटवाड़े के अनुसार प्रार्थीगण का अल्पतम हिस्सा ही अवाप्त हुआ है ऐसी सुरत में अवाप्तसुदा भूमि का मुआवजा भी मौके पर किये बंटवाड़े अनुसार ही नाप कर दिया जाना न्याय संगत है। अन्यथा अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की सहमति बिना मुआवजा लेकर पुनः जमीन हड़प लेंगें। जिससे प्रार्थीगण के हितो पर कुठारघात होगा ऐसी सुरत में राजस्व रेकर्ड में मूल वाद में बंटवाड़ा किये जाने के बाद ही अवाप्तसुदा भूमि के मुआवजे की राशि विररित की जानी न्याय संगत है। ऐसी सुरत में अप्रार्थीगण को मूल वाद ताफैसला तक अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से रोका जावे। तथा अप्रार्थीगण [illegible] की यथास्थिति बनाये रखने व भारतमाला परियोजना में अवाप्तसुदा भूमि का मुआवजा नही नही

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.11.12 17:28:52 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Scanned with OKEN Scanner

हेतु पाबन्द फरमावें।

हमनें वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अध्ययन व अवलोकन किया। वादग्रस्त आराजी संयुक्त खातेदार प्रकट होती है। प्रकरण में प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होने से न्यायहित में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण के विरूद्व को अन्तिम रूप से पुख्ता किया जाकर इस आशय की अस्थाई निशेधाज्ञा अप्रार्थीगण के विरूद्व मूल वाद ताफैसला जारी की जाती है कि मौजा बड़सम पटवार हल्का गोलासन तहसील सांचौर के खेत खसरा नम्बर 325 रकबा 11.56 हैक्टयर भूमि में अप्रार्थीगण राजस्व रेकर्ड एवं मौके की यथास्थित बनाए रखे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो एवं नम्बर से कम।

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.11.12 17:28:52 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner